संख्या–5893/8–3–12–240रिट/11

प्रेषक,

आलोक कुमार,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. **आवास आयुक्त,**
उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद,
उ0प्र0 लखनऊ।

2. **उपाध्यक्ष,**
समस्त विकास प्राधिकरण,
उत्तर प्रदेश।

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–3 **लखनऊः दिनांक 18 जनवरी, 2012**

विषयः आवासीय क्षेत्रों में नर्सिंग होम्स की स्थापना हेतु निर्धारित नीति में संशोधन के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषय पर शासनादेश संख्या 4769/8–3–11–240रिट/11 दिनांक 21.11.2011 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2– इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उपरिसंदर्भित शासनादेश दिनांक 21.11.2011 के प्रस्तर–2.3 (ii) जिसमें निम्नवत प्राविधान किया गया थाः–

प्रस्तर–2.3 (ii) "आवासीय भू–उपयोग के अन्तर्गत वर्ष 2001 के पूर्व स्थापित नर्सिंग होम्स को 'अनुमन्य' (Deemed permissible) माना जाएगा।"

उपरोक्त प्राविधान को निम्नवत संशोधित करते हुए प्रतिस्थापित किये जाने का निर्णय लिया गया हैः–

प्रस्तर–2.3 (ii) *"आवासीय क्षेत्र के अन्तर्गत वर्ष 2001 के पूर्व स्थापित नर्सिंग होम्स के विनियमितीकरण हेतु निर्धारित शर्तो/मानकों का अनुपालन सुनिश्चित होने पर जनता से नियमानुसार आपत्ति/सुझाव आमन्त्रित किए जाएंगे और उनकी सुनवाई एवं निस्तारण के उपरान्त ही विनियमितीकरण अनुमन्य होगा।"*

उक्त शासनादेश संख्या 4769/8–3–11–240 रिट/11 दिनांकः 21.11.2011 का प्रस्तर–2.3 (ii) उक्त सीमा तक संशोधित समझा जाय। शेष बिन्दु यथावत रहेंगे।

भवदीय,
आलोक
(आलोक कुमार)
सचिव

सख्यां एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :—

1. अध्यक्ष, समस्त विकास प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश।
2. अध्यक्ष, समस्त विशेष विकास क्षेत्र प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश।
3. अध्यक्ष, नियन्त्रक प्राधिकारी, समस्त विनियमित क्षेत्र, उत्तर प्रदेश।
4. मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उत्तर प्रदेश।
5. निदेशक, आवास बन्धु, उत्तर प्रदेश को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इस शासनादेश को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड कराना सुनिश्चित करें।
6. अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश नर्सिंग होम्स एसोसियेशन, लखनऊ।
7. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अजयदीप सिंह)

विशेष सचिव